प्रेस नोट दिनांक 30.05.2026

थाना आंवला बरेली पुलिस

मनौना धाम से डेढ़ वर्षीय बालक के अपहरण प्रकरण में थाना आंवला #bareillypolice की बड़ी सफलता, बालक की सकुशल बरामदगी के बाद अपहरण गिरोह के 03 और शातिर सदस्य गिरफ्तार, कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना आंवला क्षेत्र स्थित मनौना धाम से डेढ़ वर्षीय बालक के अपहरण की घटना में बरेली पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बालक को सकुशल बरामद किया था। प्रकरण की विवेचना एवं लगातार की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज अपहरण गिरोह के 03 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त बच्चों के अपहरण कर उन्हें बेचने वाले संगठित गिरोह का हिस्सा हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.05.2026 को वादी श्री रमन (मनौना धाम में सफाई कर्मचारी) पुत्र रविन्द्र निवासी डढ़रिया असगुना थाना उसैत जनपद बदायूं द्वारा थाना आंवला पर सूचना दी गई कि समय लगभग 10:30 बजे उसके तीनों बच्चे खेलते हुए सड़क की ओर चले गए थे, जिनमें से दो बच्चे वापस आ गए जबकि उसका डेढ़ वर्षीय पुत्र लापता हो गया। प्राप्त सूचना पर थाना आंवला पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस एवं थाना आंवला पुलिस की संयुक्त 05 टीमों का गठन किया गया। दिनांक 27.05.2026 को अपहृत बालक को सकुशल बरामद करते हुए **अभियुक्त योगेश कन्नौजिया एवं पवन चंदेल को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार** किया गया तथा प्रकाश में आए **अभियुक्त उत्तम वाजपेयी** को दिनांक 29.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

सूचना एंव कार्यवाहीः-

दिनांक 30.05.2026 को अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग एवं दबिश की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. संजय कुमार विश्वास पुत्र स्व. संतोष कुमार विश्वास नि0 24 परगना थाना सिमोरली जिला नादिया (पश्चिम बंगाल) हाल पता- उलदौली थाना मुहाली जनपद सीतापुर उम्र 60 वर्ष
2. केशवराम उर्फ मंजेश पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी भगवतीपुर थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी उम्र 31 वर्ष
3. सीता पत्नी मनोज चौहान निवासी गाजीपुर थाना दातागंज जनपद बदायूं हाल पता ग्राम रसूलपुर थाना मीरगंज जनपद बरेली उम्र 38 वर्ष

अभियुक्त संजय कुमार का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/18 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना महोली जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 278/26 धारा 137(2)/143(4)/61(2) बीएनएस थाना आंवला जनपद बरेली

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 278/26 धारा 137(2)/143(4)/61(2) बीएनएस थाना आंवला जनपद बरेली

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त संजय कुमार विश्वास एवं केशवराम उर्फ मंजेश से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वे अभियुक्त उत्तम वाजपेयी के साथ मिलकर बच्चों के अपहरण एवं बिक्री के संगठित गिरोह में सक्रिय थे। अभियुक्तों ने बताया कि वे पूर्व में भी बच्चों को अपहरण कर गिरोह के अन्य सदस्यों के माध्यम से बेच चुके हैं तथा इसके बदले उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि गिरोह के सदस्य भीड़भाड़ वाले स्थानों, मंदिरों एवं अस्पतालों से बच्चों का अपहरण कर उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को बेचने का कार्य करते थे। वर्तमान प्रकरण में भी गिरोह के सदस्यों की सक्रिय संलिप्तता पाई गई है। प्रकरण में अन्य तथ्यों एवं संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत विवेचना प्रचलित है।

पुलिस टीम का विवरणः-

निरीक्षक बीनू चौधरी थाना आंवला जनपद बरेली
उ0नि0 नरेन्द्र सिंह राघव थाना आंवला जनपद बरेली
व0उ0नि0 धर्मपाल सिंह थाना आंवला जनपद बरेली
हे0कां0 श्याम सिंह थाना आंवला जनपद बरेली
कां0 अजय सिंह थाना आंवला जनपद बरेली
कां0 प्रियांशु थाना आंवला जनपद बरेली
म0कां0 छाया थाना आंवला जनपद बरेली